भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3122
21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों में आवासों का संख्या

3122. श्री एस. ज्ञानतिरावियम

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार का तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आवासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि की सख्त कमी भूमि उपयोग विनियमन, आवासीय पड़ोसी क्षेत्रों, को सहायता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त अवसंरचना, निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत, अपर्याप्त वित्तपोषण, सीमित गिरवी वित्तपोषण और किराया नियंत्रण कानून मुख्य कारण हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों ने आवास मिशन के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी नोडल एजेंसियों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए

25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के चार घटक हैं, नामत: लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू योजना का कार्यान्वयन, जिसमें मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण, लाभार्थियों का चयन आदि शामिल है, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार 6.81 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 6.61 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 5.49 लाख पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ): पीएमएवाई-यू के तहत, भारत सरकार स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के तहत 1.0 लाख रू., साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण या संवर्धन (बीएलसी) घटक के लिए 1.5 लाख रू. की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान कर रही है। पीएमएवाई-यू के ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो प्रति आवास 2.67 लाख रू. तक होती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है।

यह देखा गया है कि हाउसिंग स्टॉक बनाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में अपर्याप्त शहरी नियोजन, भूमि की उच्च कीमत और विशेष रूप से महानगरों में भूमि की दुर्लभ उपलब्धता, निर्माण सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सांविधिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र/भवन योजना अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, अपेक्षित वास्तविक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान आदि शामिल हैं।

पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू परियोजनाओं के लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाएं/लाभ प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार की प्रासंगिक योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि और अन्य राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। हुडको जैसे वित्तीय संस्थान भी आवास परियोजनाओं में शामिल विभिन्न सरकारी एजेंसियों को ऋण प्रदान करते हैं।